रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED NO. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1981/माघ 1, 1902
N. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1981/MAGHA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मन्त्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

का. आ. 42 (अ).—विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 557 (अ), 21 जुलाई, 1980 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 21 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 1073-1074 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी;

और उक्त राजपत्र 16 अगस्त, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास परिषद् (प्रक्रिया नियम संबंधी) 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) संशोधन नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(1) खण्ड (क) में, "या निर्वाचित" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(2) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) "उपाध्यक्ष" से इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।"

3. उक्त नियम के नियम 3 में, "अध्यक्ष सहित 30 सदस्य" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पन्द्रह सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—

(1) परिषद् का अध्यक्ष—उक्त अनुसूचित उद्योग में जिसके लिए सम्बद्ध परिषद् की स्थापना की जाती है, सम्बद्ध भारत सरकार के विभाग का या तो सचिव या अपर सचिव होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

(2) परिषद् का उपाध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा और अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की उस अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का सदस्य नहीं रह गया है, उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा ।

(3) उपाध्यक्ष, सम्बद्ध परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा और उसकी एक प्रति सचिव को भेज कर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ।

(4) उपाध्यक्ष के अपने पद से त्यागपत्र देने से हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् के किसी अन्य सदस्य की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करके, भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष, उस उपाध्यक्ष के रूप में उतने समय तक पद धारण करेगा, जितने समय तक वह उपाध्यक्ष, जिसके स्थान की पूर्ति की है यदि उसने त्यागपत्र न दिया होता तो, पद धारण करने के लिए हकदार होता ।"

5. उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (2) में, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "उद्योग मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियम के नियम 10 में,—

(1) उपनियम (1) में, अन्त में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी ।"

(2) उपनियम (2) और उपनियम (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है, "अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(1) उपनियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात् "या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) उप-नियम (3) में, अन्त में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"या उपाध्यक्ष की, जहां बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर रहा है" ।

8. उक्त नियम के नियम 13 में,—

(1) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे ।";

(2) उपनियम (4) में, "या अध्यक्षता करने वाला सदस्य" शब्दों के स्थान पर "या यदि उपाध्यक्ष अथवा बोर्ड का कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर रहा है तो, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या ऐसा सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 14 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) वह प्रत्येक बैठक के पश्चात्, विकास परिषद् के क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट उद्योग मंत्रालय के परियोजना-अनुमोदन बोर्ड को भेजने के लिए उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक अनुमोदनों के लिए सचिवालय को अग्रेषित करेगा ।" ;

10. उक्त नियम के नियम 15 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है, "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. 1/4/78-एल. पी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1981

S.O. 42(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, were published as required by sub-section 1 of section 30 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pp. 1074 and 1074/1 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st July, 1980 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of industry Development) No. S.O 557(E), dated the 21st July, 1980, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 16th August, 1980;

And whereas no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, namely :—

1. (1) These rules may be called the Development Councils (Procedural) Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules).—

(i) in clause (a), the words "or elected" shall be omitted;

(ii) after clause, (d), the following, clause shall be inserted, namely:—

(e) "Vice-Chairman" means a Vice-Chairman appointed under these rules".

3. In rule 3 of the said rules, for the figures and words "30 members including the Chairman", the words "fifteen members including the Chairman and the Vice-Chairman" shall be substituted.

4. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Chairman and Vice-Chairman—

(1) The Chairman of a Council shall be either the Secretary or the Additional Secretary of the Department of the Government of India concerned with the Scheduled industry for which the concerned Council is established, to be appointed by the Central Government.

(2) The Vice-Chairman of a Council shall be appointed by the Central Government from amongst the members of that Council and shall hold office for a period not exceeding two years, as may be specified by the Central Government, from the date of his appointment :

Provided that no person shall hold the office of Vice-Chairman after he has ceased to be a member of the Council.

(3) The Vice-Chairman may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Council concerned with a copy to the Secretary thereof.

(4) The vacancy caused by the Vice-Chairman resigning his office shall be filled by appointment by the Central Government of another member of the Council as Vice-Chairman and the Vice-Chairman so appointed shall hold office for so long as the Vice-Chairman whose place be filled would have been entitled to hold the Office had he not resigned".

5. In sub-rule (2) of rule 5 of the said rules, for the words "Ministry of Commerce and Industry" the words "Ministry of Industry" shall be substituted.

6. In rule 10 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), the following shall be inserted at the end, namely :—

"but at least two meetings shall be held in a year."

(ii) in sub-rule (2) and sub-rule (4) for the words "Chairman", wherever it occurs, the words "chairman or, in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman" shall be substituted.

7. In rule 12 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), after the words "Chairman", tht words "or, in the absence of the Chairman, the Vice- Chairman" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (3), the following shall be inserted at the end, namely :—

"or where the Vice-Charman is presiding over the meeting, of the Vice-Chairman."

8. In rule 13 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman and in his absence the Vice-Chairman shall preside over the meeting of a Council and where both the Chairman and Vice-Chairman are absent, the members present shall elect a Chairman from amongst themselves";

(ii) In sub-rule (4) for the words "or the member presiding", the words "or, if the Vice-Chairman or any other member is presiding the Vice-Chairman or such member, as the case may be", shall be substituted.

9. In rule 14 of the said rules, after sub rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) He shall forward to the Secretariat for Industrial Approvals in the Ministry of Industry a report on the activties of the Development Council after every meeting for submission to the Project Approval Board of the Ministry of Industry."

10. In rule 15 of the said rules, for the words "the Chairman", wherever they occur, the words "the Chairman or Vice-Chairman" shall be substituted.

[F. No. 1/4/78-LP]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981